भाग-II

अध्याय-III

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के उपक्रमों के कार्यकलाप

परिचय

3.1 31 मार्च 2019 को 28 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) थे जो कि ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से सम्बंधित थे। यह राज्य उपक्रम 1954-55 से 2015-16 के मध्य निगमित किये गये थे एवं इनमें 25 सरकारी कम्पनियां एवं तीन सांविधिक निगम, अर्थात राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी), राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (आरएसडब्ल्यूसी) एवं राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) सम्मिलित थे। सरकारी कम्पनियों में तीन[1] अकार्यरत कम्पनियां एवं अन्य सरकारी कम्पनियों के स्वामित्व वाली तीन[2] सहायक कम्पनियां भी सम्मिलित थी। एक सरकारी कम्पनी यथा राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड {आरएसपीसीएल एक अन्य राज्य उपक्रम राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आरएसएमएमएल) की सहायक कम्पनी} ने 2018-19 तक वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन प्रारम्भ नहीं किया था। इन 28 राज्य उपक्रमों के अलावा, दो राज्य उपक्रमों (दोनों सांविधिक निगम) नामतः राजस्थान भूमि विकास निगम एवं राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज निगम की लेखापरीक्षा सीएजी के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती है।

राज्य सरकार राज्य उपक्रमों को समय-समय पर पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इन 28 राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में से राज्य सरकार ने केवल 25 उपक्रमों में निवेश किया था क्योंकि राज्य सरकार ने तीन अन्य उपक्रमों, जो कि अन्य सरकारी कम्पनियों की संयुक्त उपक्रम/सहायक कम्पनी के रूप में निगमित किये गये थे, में कोई धन निवेश नहीं किया था। इन तीन संयुक्त उपक्रमों/सहायक कम्पनियों में पूँजी का योगदान संबंधित सह-भागीदार/नियंत्रक कम्पनी द्वारा किया गया था।

राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

3.2 उपक्रमों के टर्नओवर का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में उपक्रमों की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2019 को समाप्त

---

1 राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (आरएसएआईसीएल), राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (आरजेवीएनएल) एवं राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड (आरसीएसीएल) जिन्होनें अपना संचालन क्रमशः 2000-01, 2011-12 एवं 2016-17 से बंद कर दिया था।

2 आरएसपीसीएल एवं बाड़मेर लिग्नाइट खनन कम्पनी लिमिटेड (बीएलएमसीएल- आरएसएमएमएल एवं एक निजी कम्पनी राजवेस्ट पावर लिमिटेड के मध्य संयुक्त उपक्रम), आरएसएमएमएल की सहायक कम्पनी के रूप में निगमित (10 जुलाई 2008 एवं 19 जनवरी 2007) एवं आरएसपीसीएल की सहायक कम्पनी के रूप में निगमित (20 सितम्बर 2013) राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (आरएसजीएल)।

होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं राजस्थान के जीएसडीपी का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.1: राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर के सम्मुख जीएसडीपी

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टर्नओवर (₹ करोड़ में)	11390.91	12171.63	13417.48	13911.21	14823.86
टर्नओवर में गत वर्ष के टर्नओवर की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन (₹ करोड़ में)	22.84	6.85	10.24	3.68	6.56
राजस्थान की जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	615642.00	681485.00	758809.00	835558.00	929124.00
जीएसडीपी में गत वर्ष के जीएसडीपी की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन	11.73	10.70	11.35	10.11	11.20
टर्नओवर का राजस्थान के जीएसडीपी से प्रतिशतता	1.85	1.79	1.77	1.66	1.60

स्रोतः कार्यरत उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर के आंकड़ों एवं राजस्थान सरकार की 2018-19 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार जीएसडीपी के आंकड़ों के आधार पर संकलित।

इन उपक्रमों के टर्नओवर में गत वर्षों की तुलना में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। 2014-19 की अवधि में टर्नओवर में वृद्धि 3.68 प्रतिशत एवं 22.84 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि में राजस्थान के जीएसडीपी में वृद्धि 10.11 प्रतिशत एवं 11.73 प्रतिशत के मध्य रही। जीएसडीपी की गत पांच वर्षों के दौरान वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर[3] 11.01 प्रतिशत थी। वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर विभिन्न समयावधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी की 11.01 प्रतिशत की वार्षिक मिश्रित वृद्धि के समक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर में गत पांच वर्षों के दौरान 9.84 प्रतिशत की कम वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप जीएसडीपी में इन उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2014-15 में 1.85 प्रतिशत से सीमांत रूप से घटकर 2018-19 में 1.60 प्रतिशत हो गई।

राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश

3.3 इनमें से कुछ उपक्रम निश्चित सेवाएं, जो निजी क्षेत्र विभिन्न कारणों से प्रदान करने में इच्छुक नहीं है, प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के साध्य के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने उपक्रमों के माध्यम से ऐसे व्यापार क्षेत्रों में भी निवेश किया है जिनमें उसको निजी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धी परिवेश में कार्य करना पड़ता है। अतः इन राज्य उपक्रमों की स्थिति का दो प्रमुख श्रेणियों यथा जो सामाजिक क्षेत्र में है एवं जो प्रतिस्पर्धी

3 वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर [[{(2018-19 का मूल्य/2013-14 का मूल्य)^(1/5 वर्ष)}-1]*100] जिसमें 2013-14 के लिए टर्नओवर एवं जीसडीपी क्रमशः ₹ 9273.10 करोड़ एवं ₹ 551031 करोड़ थे।

परिवेश में कार्यरत है में विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन राज्य उपक्रमों में से दो[4] राज्य सरकार की ओर से कुछ विशिष्ठ गतिविधियां निष्पादन करने के लिये निगमित की गई, को 'अन्य' क्षेत्र में श्रेणीबद्ध किया गया है। इन 28 राज्य उपक्रमों में पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में 31 मार्च 2019 को निवेश की स्थिति **अनुबंध-8** में दर्शाई गई है।

3.4 31 मार्च 2019 को इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का क्षेत्र-वार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 3.2: राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में क्षेत्र-वार निवेश

क्षेत्र	उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल
सामाजिक क्षेत्र	12	1872.65	2385.16	4257.81
प्रतिस्पर्धी वातावरण में उपक्रमों	14	1711.73	6513.37	8225.10
अन्य	2	5.49	0.00	5.49
कुल	**28**	**3589.87**	**8898.53**	**12488.40**

स्रोत: उपक्रम से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

31 मार्च 2019 तक, इन 28 उपक्रमों में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 12488.40 करोड़ था। निवेश में 28.75 प्रतिशत पूँजी एवं 71.25 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 24.99 प्रतिशत (₹ 2224.18 करोड़) था जबकि शेष 75.01 प्रतिशत (₹ 6674.35 करोड़) दीर्घावधि ऋण अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया गया था।

निवेश 2014-15 के ₹ 9348.64 करोड़ से 33.59 प्रतिशत बढ़कर, 2018-19 में ₹ 12488.40 करोड़ हो गया था। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में क्रमशः ₹ 1477.08 करोड़ एवं ₹ 1662.68 करोड़ की वृद्धि के कारण निवेश में वृद्धि हुई।

राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण

3.5 वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसी भी उपक्रम (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण नहीं किया गया था।

राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता

3.6 राजस्थान सरकार (जीओआर) द्वारा वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में राज्य उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के संबंध में वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋणों एवं पूँजी में परिवर्तित ऋणों के रूप में बजटीय जावक का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

4 राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आरपीएच एवं सीसीएल) एवं आरसीएसीएल का निगमन क्रमशः पुलिस विभाग, राजस्थान सरकार के लिए भवन निर्माण व सिविल इंजीनियरिंग कार्यों एवं राजस्थान सरकार के लिए अनुसूचित वायु परिवहन के लिए किया गया।

तालिका 3.3: वर्ष के दौरान राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता के संबंध में विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[5]	2016-17		2017-18		2018-19	
	उपक्रम की संख्या	राशि	उपक्रम की संख्या	राशि	उपक्रम की संख्या	राशि
समता पूँजी की जावक (i)	-	-	-	-	-	-
दिये गये ऋण (ii)	3	180.10	5	280.22	4	324.18
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	7	339.76	8	961.76	8	828.11
कुल जावक (i+ii+iii)	9[6]	519.86	12[6]	1241.98	11[6]	1152.29
अपलिखित ऋण पुनर्भुगतान	-	-	1	4.12	1	9.41
ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
निर्गमित गारंटियाँ	-	-	1	49.45	-	-
गारंटी प्रतिबद्धता	3	3165.77	3	3235.32	3	3732.84

स्रोतः उपक्रम से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

मार्च 2019 को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों के लिए पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी में बजटीय जावक का विवरण नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया हैः

चार्ट 3.1: पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय जावक

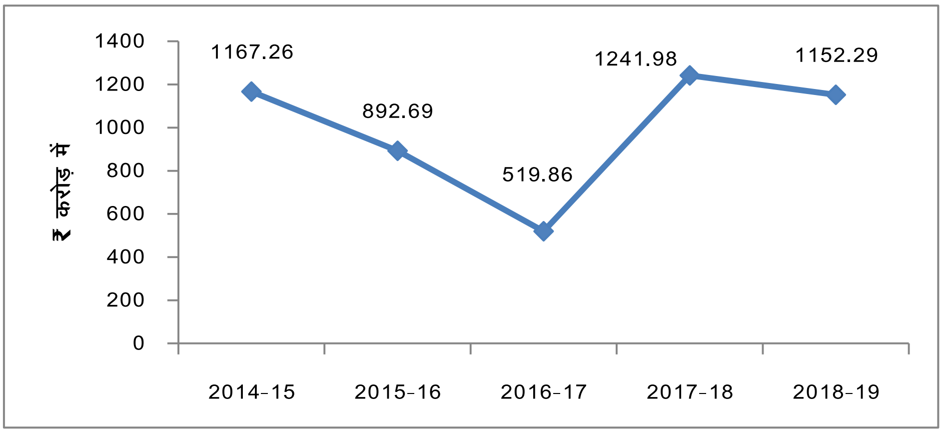

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, इन उपक्रमों को प्रदान की गई वार्षिक बजटीय सहायता ₹ 519.86 करोड़ एवं ₹ 1241.98 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2018-19 के दौरान दी गई ₹ 1152.29 करोड़ की बजटीय सहायता में ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रुप में क्रमशः ₹ 324.18 करोड़ एवं ₹ 828.11 करोड़ सम्मिलित थे। राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान इन उपक्रमों को पूँजी सहायता प्रदान नहीं की थी। राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान/सब्सिडी मुख्य रूप से जनता को मुफ्त औषधियां एवं सार्वजनिक उपक्रमों को अन्य सहायता प्रदान करने के लिये थी।

5 यह राशि केवल राज्य के बजट से जावक को दर्शाती है।

6 यह संख्या ऐसे उपक्रमों की संख्या को दर्शाती है जिन्हें बजट से एक अथवा अधिक मदों यथा पूँजी, ऋण, अनुदान/ सब्सिडी के रूप में सहायता प्राप्त हुई।

राजस्थान सरकार, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपक्रमों को राजस्थान राज्य गारंटी अनुदान विनियम (आरएसजीजीआर) 1970 के अंतर्गत गारंटी प्रदान करती है। सरकार ने आरएसजीजीआर, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत बिना किसी अपवाद के बैंकों/वित्तीय संस्थानों से उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण के मामले में प्रति वर्ष एक प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन वसूल करने का निर्णय (फरवरी 2011) किया। बकाया गारंटी प्रतिबद्धतायें 2014-15 में ₹ 3074.64 करोड़ से 21.41 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹ 3732.84 करोड़ हो गयी। वर्ष 2018-19 के दौरान चार[7] राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा ₹ 36.91 करोड़ के गारंटी कमीशन का भुगतान किया गया था।

राजस्थान सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

3.7 पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों के संबंध में राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अभिलेखों के आंकड़े राजस्थान सरकार के वित्त लेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि यह आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित उपक्रमों एवं वित्त विभाग को अतंर का मिलान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2019 की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 3.4: राजस्थान सरकार के वित्त लेखों एवं राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया गारण्टियां

(₹ करोड़ में)

मद के संबंध में बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	राज्य उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	अतंर
पूँजी	3074.53	3107.56	33.03
ऋण	1953.24	2224.18	270.94
गारण्टियां	5019.58	5304.84	285.26

स्रोत: उपक्रमों एवं वित्त लेखों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 28 राज्य उपक्रमों में से आठ उपक्रमों में इस तरह का अन्तर है जैसा की **अनुबंध-9** में दर्शाया गया है। आंकड़ों में अंतर गत कई वर्षों से जारी है। अतंर के समाशोधन हेतु इस मुद्दे को उपक्रमों/विभागों के साथ समय-समय पर उठाया गया था। मुख्य रुप से अन्तर आरयूडीडब्ल्यूएस एवं आईसीएल के शेषों में पाया गया है। इसलिए, लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि राज्य सरकार एवं उपक्रमों को अंतर का समाशोधन समयबद्ध रूप में करना चाहिए।

राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण

3.8 कुल 28 राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में से 25 कार्यरत उपक्रमों अर्थात 22 सरकारी कम्पनियां एवं तीन सांविधिक निगम एवं तीन अकार्यरत उपक्रमों 31 मार्च 2019 को सीएजी के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। राज्य उपक्रमों द्वारा लेखों को तैयार करने हेतु समय बद्धता की पालना की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है:

7 राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसआरडीसीसीएल), आरएफसी, राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड (आरयूडीडब्ल्यूएस एवं आईसीएल) एवं आरएसआरटीसी।

कार्यरत राज्य उपक्रमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता

3.8.1 वर्ष 2018-19 के लिए सभी कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 30 सितंबर 2019 तक लेखे प्रस्तुत किए जाने थे। तथापि, 22 कार्यरत सरकारी कम्पनियों में से केवल आठ सरकारी कम्पनियों ने वर्ष 2018-19 के लिए उनके लेखे सीएजी को लेखापरीक्षा के लिए 30 सितम्बर 2019 अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत किये थे जबकि 14 सरकारी कम्पनियों के लेखे बकाया थे। तीन सांविधिक निगमों में से एक सांविधिक निगम आरएसआरटीसी में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। इन तीन सांविधिक निगमों में से दो सांविधिक निगमों के वर्ष 2018-19 के लेखे लेखापरीक्षा के लिए समय पर प्रस्तुत कर दिये गये। आरएसआरटीसी के वर्ष 2018-19 के लेखे 30 सितम्बर 2019 को प्रतीक्षित थे।

30 सितंबर 2019 को कार्यरत उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों के प्रस्तुतिकरण में बकाया का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.5: कार्यरत राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	उपक्रमों की संख्या	33	34	25	25	25
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किये गये लेखों की संख्या	32	38	22	17	21
3.	कार्यरत उपक्रमों की संख्या जिनके चालू वर्ष के लेखों को अंतिम रूप दिया गया	20	21	18	12	10
4.	चालू वर्ष के दौरान गत वर्ष के अंतिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	12	17	4	5	11
5.	कार्यरत उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे बकाया थे	13	11	7	13	15
6.	बकाया लेखों की संख्या	25	19	9	17	21
7.	बकाया की सीमा	एक से आठ वर्ष	एक से पाँच वर्ष	एक से दो वर्ष	एक से तीन वर्ष	एक से तीन वर्ष

स्रोतः अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान कार्यरत उपक्रमों के प्राप्त लेखों के आधार पर संकलित।

इन कार्यरत 25 उपक्रमों में से 18 उपक्रमों ने 21 वार्षिक लेखों को 01 अक्टूबर 2018 से 30 सितम्बर 2019 की अवधि के दौरान अंतिम रूप दिया जिसमें से 10 वार्षिक लेखे वर्ष 2018-19 से संबंधित थे एवं 11 वार्षिक लेखे गत वर्षों से संबंधित थे। साथ ही, 21 वार्षिक लेखे बकाया थे जो कि 15 उपक्रमों से संबंधित थे, जिनका विस्तृत विवरण **अनुबंध 10** में दिया गया है। इन उपक्रमों की गतिविधियों की निगरानी एवं इन उपक्रमों द्वारा लेखों को निर्धारित समय में अन्तिम रूप दिये जाने एवं अपनाये जाने को सुनिश्चित करने का दायित्व प्रशासनिक विभागों पर है। संबंधित विभागों को बकाया लेखों के संबंध में त्रैमासिक रूप से सूचित किया गया था।

राजस्थान सरकार ने 15 कार्यरत उपक्रमों, जिनके लेखों को कम्पनी अधिनियम 2013/ आरएसआरटीसी नियम 1964 के अनुसार 30 सितम्बर 2019 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था, में से पाँच उपक्रमों में ₹ 853.27 करोड़ (ऋणः ₹ 111.50 करोड़ एवं सब्सिडीः

₹ 741.77 करोड़) निवेश किया था। राज्य सरकार द्वारा वर्षो के दौरान उपक्रम-वार निवेश, जिनके लेखे बकाया है, का विवरण **अनुबंध-10** में दर्शाया गया है।

लेखों के अंतिमीकरण एवं इनकी अनुवर्त्ती लेखापरीक्षा के अभाव में 15 उपक्रमों में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि निवेश एवं व्यय सही रूप से लेखांकित किये गये हैं एवं उद्देश्य जिसके लिए राशि निवेश की गई थी, प्राप्त कर लिया गया था। इसलिए, राज्य सरकार का इन उपक्रमों में निवेश राज्य विधान सभा की निगरानी से बाहर रहा।

अकार्यरत उपक्रमों के द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता

3.8.2 तीन अकार्यरत उपक्रमों के लेखे 30 सितम्बर 2019 को अंतिमिकरण हेतु बकाया थे जिनकी स्थिति नीचे दर्शायी गयी है:

तालिका 3.6: अकार्यरत उपक्रमों के संबंध में बकाया लेखों की स्थिति

क्र. सं.	अकार्यरत कम्पनियों के नाम	लेखों के बकाया रहने की अवधि
1	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2015-16 से 2018-19
2	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	2018-19
3	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2018-19

स्रोत: अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान उपक्रमों के प्राप्त लेखों के आधार पर संकलित।

सांवधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण

3.9 तीन कार्यरत सांविधिक निगमों में से दो निगमों ने वर्ष 2018-19 के लिए उनके लेखे 30 सितम्बर 2019 तक अग्रेषित किये।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर), सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। यह प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने होते हैं। 30 सितम्बर 2019 को सांविधिक निगमों की वार्षिक लेखों एवं उनके एसएआर के विधान सभा में प्रस्तुतिकरण की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.7: सांविधिक निगमों के एसएआर के पटल पर रखे जाने की स्थिति

निगम का नाम	लेखों का वर्ष	एसएआर के प्रस्तुतिकरण का माह
राजस्थान वित्त निगम	2017-18	फरवरी 2019
	2018-19	प्रस्तुतिकरण होना शेष है।
राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम	2017-18	जनवरी 2019
	2018-19	प्रस्तुतिकरण होना शेष है।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2016-17	जुलाई 2019
	2017-18 एवं 2018-19	प्रस्तुतिकरण होना शेष है।

स्रोत: राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के आधार पर संकलित।

राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के द्वारा लेखों के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव

3.10 जैसा कि अनुच्छेद **3.8** में इंगित किया गया है, लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब संबंधित विधानों के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ साथ कपट एवं लोक धन में रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणामित हो सकता है। लेखों के बकाया की उपर्युक्त स्थिति को देखते

हुये राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के 2018-19 में राज्य की जीएसडीपी में वास्तविक योगदान का आंकलन नहीं किया जा सका एवं राजकोष में उनके योगदान को भी राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

अतः यह सिफारिश की जाती है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा लेखों के बकाया की समाप्ति के लिये कड़ी निगरानी एवं आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिये। सरकार को भी कम्पनी द्वारा लेखे तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर ध्यान देना चाहिये एवं बकाया लेखों की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।

राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन

3.11 28 राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए उनके लेखों के अनुसार 30 सितंबर 2019 तक की वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम **अनुबंध-11** में दिये गये हैं।

उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। राज्य सरकार द्वारा राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में 31 मार्च 2019 को निवेश की राशि ₹ 12488.40 करोड़ थी जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 3589.87 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 8898.53 करोड़ सम्मिलित थे। इसमें से 25 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में राजस्थान सरकार का निवेश ₹ 5331.74 करोड़ था जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 3107.56 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 2224.18 करोड़ सम्मिलित थे।

राजस्थान सरकार का ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त उपक्रमों में 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के निवेश की वर्षवार स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

चार्ट 3.2: राज्य सरकार का राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में कुल निवेश

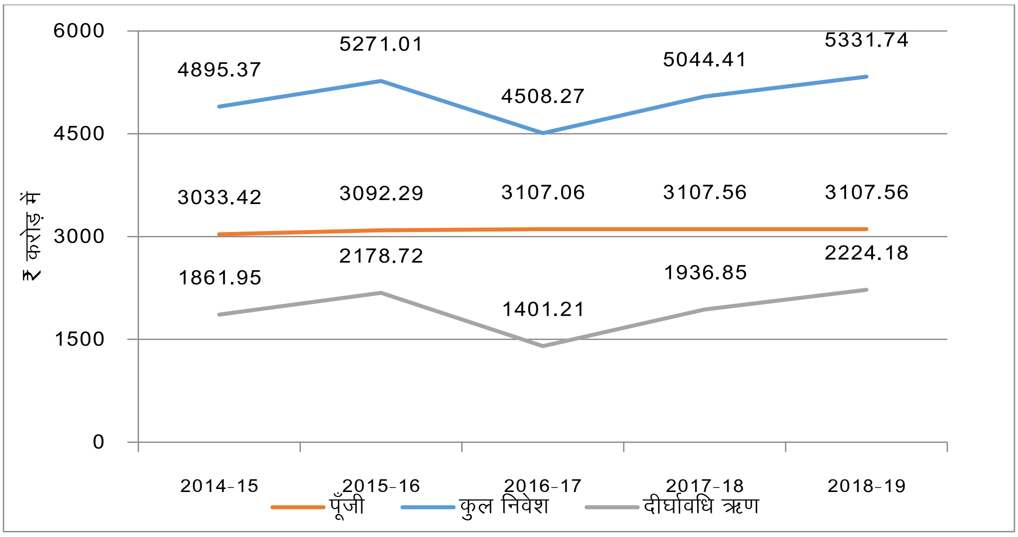

कम्पनी की लाभदायकता को पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, पूँजी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से मापा जाता है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में हुई लाभ अथवा हानि से पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि के समक्ष मापा जाता है एवं कुल निवेश पर लाभ की प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

एक वित्तीय अनुपात है जो कि कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी उपयोग की गई कार्यरत पूँजी से मापता है एवं इसकी गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है। पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन का माप है जिसकी गणना करों के पश्चात के लाभ को शेयर धारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है।

सरकार के निवेश पर प्रतिफल

3.12 निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश की प्रतिशतता है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान कार्यरत राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अर्जित लाभ/वहन की गई हानि[8] की समग्र स्थिति को चार्ट में नीचे दर्शाया गया है।

चार्ट 3.3: वर्षो के दौरान कार्यरत उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि

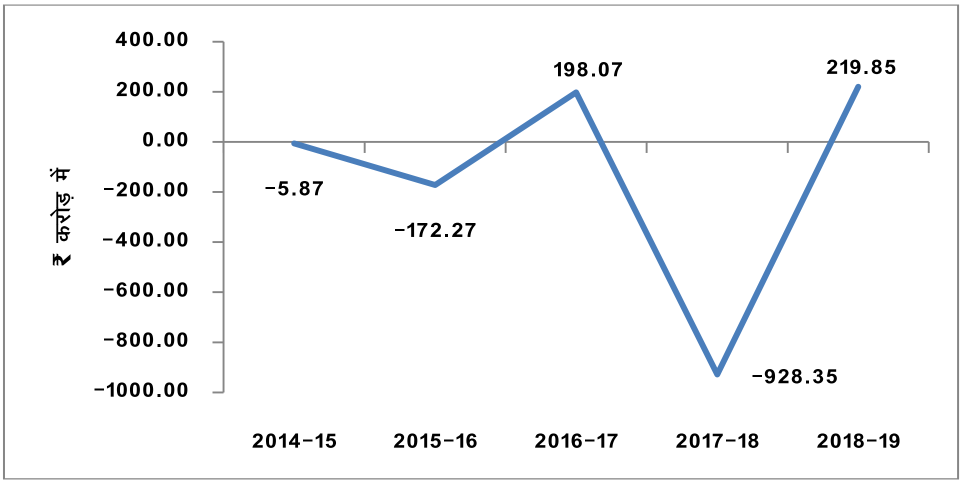

इन कार्यरत उपक्रमों द्वारा 2014-15 में वहन की गई ₹ 5.87 करोड़ की हानि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएमआरसीएल) की हानियों में महत्वपूर्ण कमी के कारण 2018-19 में ₹ 219.85 करोड़ के लाभ में परिवर्तित हो गई। वर्ष 2018-19 के अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार, इन 25 कार्यरत राज्य उपक्रमों में से, 18 उपक्रमों ने ₹ 511.53 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं सात उपक्रमों ने ₹ 291.68 करोड़ की हानि वहन की जैसा कि **अनुबंध-11** में दर्शाया गया है।

शीर्ष लाभ कमाने वाली कम्पनियां आरएसएमएमएल (₹ 168.50 करोड़), राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) (₹ 142.94 करोड़), आरएसडब्ल्यूसी (₹ 88.89 करोड़) आरएसआरडीसीसीएल (₹ 35.00 करोड़) थी जबकि आरएसआरटीसी (₹ 176.71 करोड़) एवं जेएमआरसीएल (₹ 52.97 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

31 मार्च 2019 को कार्यरत 25 राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा 2014-15 से 2018-19 के दौरान अर्जित लाभ/वहन की गई हानि की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है।

---

8 आंकड़े संबंधित वर्षो में अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों पर आधारित है।

तालिका 3.8: कार्यरत उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा 2014-15 से 2018-19 के दौरान अर्जित लाभ/वहन की गई हानि की स्थिति

वित्तीय वर्ष	उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की कुल संख्या	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों की संख्या	वर्ष के दौरान हानि वहन करने वाले उपक्रमों की संख्या	वर्ष के दौरान उपक्रमों की संख्या जिनकी मामूली लाभ/हानि थे
2014-15	25	17	7	1
2015-16	25	18	6	1
2016-17	25	19	6	-
2017-18	25	19	6	-
2018-19	25	18	7	-

(अ) सरकारी निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की दर

3.13 राज्य के 28 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में से राज्य सरकार ने पूँजी, दीर्घावधि ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में दी गई निधि का निवेश **केवल 25 उपक्रमों** में किया है। सरकार ने इन 25 उपक्रमों में ₹ 5331.74 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 3107.56 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 2224.18 करोड़ सम्मिलित है।

राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी एवं ऋण के रूप में उपक्रमों में किये गये निवेश के आधार पर उपक्रमों से निवेश पर प्रतिफल की दर (आरओआर) की गणना की गई है। ऋणों के संबंध में, केवल ब्याज मुक्त ऋण को ही निवेश माना गया है क्योंकि सरकार को इस प्रकार के ऋणों से कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है एवं इसलिए पुनर्भुगतान के नियम एवं शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान के लिए दायी ऋणों को उस सीमा तक छोड़कर ये ऋण पूँजी निवेश की प्रकृति के है। इस प्रकार, इन 25 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश की गणना पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण को सम्मिलित करते हुए की गई है एवं जिन प्रकरणों में उपक्रमों के द्वारा ब्याज मुक्त ऋणों का भुगतान कर दिया गया है, निवेश की मूल्य की गणना अवधि के दौरान ऐतिहासिक लागत एवं वर्तमान मूल्य (पीवी) के आधार पर ब्याज मुक्त ऋण के घटे हुए शेषों के आधार पर की गई है जैसा की तालिका **3.9** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुदान/सब्सिडी के रूप में दी गई निधि को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि परिचालन एवं प्रशासनिक खर्च तथा अन्य उद्देश्यों हेतु प्रदान की गई अनुदान/सब्सिडी का विभाजन उपलब्ध नहीं है।

31 मार्च 2019 को इन 25 उपक्रमों में राज्य सरकार की पूँजी ₹ 3107.56 करोड़ थी। जारी किये गये ₹ 2224.18 करोड़ के दीर्घावधि ऋणों में से इस अवधि के दौरान ब्याज मुक्त ऋण के घटाये गये शेषों के आधार पर ब्याज मुक्त ऋण ₹ 1578.41 करोड़ थे। इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा इन 25 उपक्रमों में किया गया निवेश ऐतिहासिक लागत के आधार पर ₹ 4685.97 करोड़ (₹ 3107.56 करोड़ + ₹ 1578.41 करोड़) था।

सरकार के निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए क्षेत्रवार निवेश पर प्रतिफल नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 3.9: सरकार के निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर आरओआर

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रवार वर्षवार ब्यौरा	वर्ष के दौरान कुल लाभ	ऐतिहासिक लागत के आधार पर पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राजस्थान सरकार द्वारा निधियों का निवेश	राज्य सरकार के निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर आरओआर (%)
2014-15			
सामाजिक क्षेत्र	29.04	2900.86	1.00
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-4.41	1572.53	-0.28
अन्य	-0.33	4.99	-6.61
कुल	**24.30**	**4478.38**	**0.54**
2015-16			
सामाजिक क्षेत्र	-51.48	2953.80	-1.74
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-106.99	1839.40	-5.82
अन्य	-0.21	4.99	-4.21
कुल	**-158.68**	**4798.19**	**-3.31**
2016-17			
सामाजिक क्षेत्र	14.05	2008.15	0.70
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	176.60	1988.50	8.88
अन्य	-0.19	4.99	-3.81
कुल	**190.46**	**4001.64**	**4.76**
2017-18			
सामाजिक क्षेत्र	-56.98	2397.33	-2.38
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-870.71	2027.00	-42.96
अन्य	-0.19	5.49	-3.46
कुल	**-927.88**	**4429.82**	**-20.95**
2018-19			
सामाजिक क्षेत्र	-29.54	2555.12	-1.16
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	286.59	2125.36	13.48
अन्य	2.04	5.49	37.16
कुल	**259.09**	**4685.97**	**5.53**

राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल की दर की गणना इन उपक्रमों की कुल लाभों[9] को राज्य सरकार की निवेश की लागत से विभाजित करके की गई है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के निवेश पर अर्जित प्रतिफल की दर -20.95 प्रतिशत एवं 5.53 प्रतिशत के मध्य थी। 2015-16 एवं 2017-18 के दौरान राज्य सरकार के निवेश पर समग्र रूप से प्रतिफल ऋणात्मक था जिसका मुख्य कारण प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम {2015-16 में (-) ₹ 754.10 करोड़ एवं 2017-18 में (-) ₹ 1169.76 करोड़} एवं सामाजिक क्षेत्र में जेएमआरसीएल {2015-16 में (-) ₹ 90.20 करोड़ एवं 2017-18 में (-) ₹ 90.12 करोड़)} द्वारा भारी हानियां वहन करना था। आगे विश्लेषण से

9 इसमें उन राज्य उपक्रमों, जिनमें राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया है, से संबंधित वर्ष की शुद्ध लाभ/हानि सम्मिलित है।

यह ज्ञात हुआ कि प्रतिस्पर्धी क्षेत्र से राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल अस्थिर प्रवृति को दर्शाता है। प्रतिस्पर्धी क्षेत्र से प्रतिफल मुख्यतः राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) की हानियों में वृद्धि के कारण 2014-15 के -0.28 प्रतिशत से महप्तवपूर्ण रूप से घट कर 2015-16 में -5.82 प्रतिशत हो गया। इस क्षेत्र ने 2016-17 (8.88 प्रतिशत), 2017-18 (-42.96 प्रतिशत) एवं 2018-19 (13.48 प्रतिशत) के दौरान अस्थिर प्रतिफल दर्ज किया जिसका मुख्य कारण 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान आरएसआरटीसी की हानियों में क्रमशः भारी कमी, तत्पश्चात वृद्धि एवं अंत में कमी था।

(ब) सरकार के निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

3.14 उन 25 राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त), जहाँ राज्य सरकार द्वारा निधियों निवेश किया गया है, इन उपक्रमों की लाभदायकता का आंकलन करने के लिये निवेश के समक्ष कुल लाभों का एक विश्लेषण किया गया है। लाभों प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल निवेश को ऐतिहासिक लागत के आधार पर किया जाना निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। राजस्थान सरकार के राज्य उपक्रमों में निवेश की ऐतिहासिक लागत की तुलना में निवेश के वास्तविक प्रतिफल की दर का आंकलन करने के लिए सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना की गई है। 31 मार्च 2019 तक निवेश की ऐतिहासिक लागत को प्रत्येक वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए, पूर्व निवेश/वर्षवार राज्य सरकार द्वारा राज्य उपक्रमों में निवेशित धन को वर्षवार सरकारी उधार की औसत ब्याज दर जो कि संबंधित वर्ष के लिए सरकार के धन की न्यूनतम लागत है, पर चक्रवृद्धि किया गया है। इस प्रकार, इन 25 राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में राज्य सरकार के निवेश पर पीवी की गणना वहां से की गई है जहां इन उपक्रमों की स्थापना से 31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निधियों का निवेश किया गया था। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान इन 25 उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल वर्ष 2014-15, 2016-17 एवं 2018-19 के दौरान धनात्मक था। इसलिए इन तीन वर्षों के लिए आरओआरआर की गणना पीवी के आधार पर की गई एवं दर्शाई गई है।

राज्य सरकार द्वारा उक्त 25 उपक्रमों में किये गये निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्न धारणाओं के आधार पर की गई है:

- राज्य सरकार द्वारा दिये गये ब्याज मुक्त ऋणों को सरकार द्वारा किया गया निवेश माना गया है। तथापि, उपक्रमों द्वारा ऋण के पुर्नभुगतान की स्थिति में, पीवी की गणना इस अवधि के दौरान ब्याज मुक्त ऋण के घटे हुए शेषों पर की गई है। इसके अतिरिक्त, अनुदान/सब्सिडी के रूप में दी गई निधियों को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि परिचालन एवं प्रशासनिक खर्च तथा अन्य उद्देश्यों हेतु प्रदान की गई अनुदान/सब्सिडी का विभाजन उपलब्ध नही है।
- धन के वर्तमान मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से संबंधित वित्तीय वर्ष[10] के लिये सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया है

10 सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (राजस्थान सरकार) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट से अपनाई गई थी, जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर = ब्याज भुगतान / [(गत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं) / 2] * 100।

क्योंकि यह निवेश किये गये धन पर वर्ष के दौरान सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है एवं इस प्रकार सरकार द्वारा किये गये निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में अपनाई जा सकती है।

वर्ष 2015-16 एवं 2017-18 के दौरान जब इन 25 उपक्रमों ने हानि वहन की थी, हानि के कारण निवल मूल्य का क्षरण निष्पादन का एक अधिक उपयुक्त मापक है। उपक्रमों के पूँजी के क्षरण पर अनुच्छेद **3.17** में टिप्पणी की गई है।

3.15 इन 25 राज्य उपक्रमों में 2000-01 से 2018-19 तक की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर पूंजी एवं ऋण के रूप में राज्य सरकार के निवेश की उपक्रमों वार स्थिति **अनुबंध-12** में इंगित की गई है। साथ ही, इन उपक्रमों में इसी अवधि के लिये राज्य सरकार के निवेश की पीवी एवं कुल लाभदायकता की समेकित स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 3.10: वर्ष 2000-01 से 2018-19 तक राज्य सरकार के निवेश एवं सरकार के इस निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का शुद्ध वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई समता पूँजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण[11]	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल[12]	वर्ष के लिए कुल लाभ[13]
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii={vii*(1+vi)/100}	ix={vii*vi)/100 }	x
1999-2000 तक	**-**	**412.44**	**36.80**	**449.24**	**10.40**	**1164.89**	**1286.04**	-	-
2000-01	1286.04	2.76	-0.49	2.27	10.50	1288.31	1423.58	135.27	-57.88
2001-02	1423.58	0.20	-3.34	-3.14	10.50	1420.44	1569.59	149.15	-45.92
2002-03	1569.59	6.05	-3.52	2.53	10.00	1572.12	1729.33	157.21	-18.61
2003-04	1729.33	134.46	-0.84	133.62	9.60	1862.95	2041.80	178.85	10.85
2004-05	2041.80	29.46	-12.06	17.4	9.10	2059.20	2246.59	187.39	133.45
2005-06	2246.59	14.89	-5.51	9.38	8.20	2255.97	2440.95	184.98	208.73
2006-07	2440.95	1.30	-0.39	0.91	8.30	2441.86	2644.54	202.68	259.05
2007-08	2644.54	7.50	-0.85	6.65	8.00	2651.19	2863.28	212.09	365.80
2008-09	2863.28	3.87	-0.69	3.18	7.70	2866.46	3087.18	220.72	295.26
2009-10	3087.18	19.56	-0.72	18.84	7.70	3106.02	3345.19	239.17	136.85
2010-11	3345.19	203.95	-0.31	203.64	7.70	3548.83	3822.09	273.26	276.54
2011-12	3822.09	416.63	-5.79	410.84	7.70	4232.93	4558.86	325.93	751.69

11 कॉलम में दर्शाये गये ब्याज मुक्त ऋण की ऋणात्मक आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान उपक्रमों द्वारा राज्य सरकार को ऋण का पुर्नभुगतान दर्शाते हैं।

12 वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य - वर्ष के अंत में कुल निवेश।

13 वर्ष के लिए कुल आय संबंधित वर्ष के लिए उन 25 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, के शुद्ध आय (लाभ/हानि) को दर्शाता है। यदि किसी उपक्रम के वर्ष के दौरान वार्षिक लेखे बकाया हैं, तो उस वर्ष के लिए शुद्ध आय (लाभ/हानि) संबंधित उपक्रमों के नवीनतम वर्ष के अंतिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार ली गई है।

2012-13	4558.86	813.61	102.98	916.59	7.40	5475.45	5880.63	405.18	706.21
2013-14	5880.63	844.17	132.30	976.47	7.30	6857.10	7357.67	500.57	480.16
2014-15	7357.67	122.57	1207.38	1329.95	7.50	8687.62	9339.19	651.57	24.30
2015-16	9339.19	58.87	260.95	319.82	6.70	9659.01	10306.17	647.16	-158.68
2016-17	10306.17	14.77	-811.32	-796.55	7.60	9509.62	10232.35	722.73	190.46
2017-18	10232.35	0.50	427.68	428.18	7.30	10660.53	11438.75	778.22	-927.88
2018-19	11438.75	0.00	256.15	256.15	7.30	11694.90	12548.63	853.73	259.09
कुल		**3107.56**	**1578.41**	**4685.97**					

राज्य सरकार द्वारा वर्ष के अंत में इन उपक्रमों में निवेशित धनराशि का शेष वर्ष 1999-2000 में ₹ 449.24 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 के अंत में ₹ 4685.97 करोड़[14] हो गया था क्योंकि राज्य सरकार ने 2000-01 से 2018-19 की अवधि के दौरान पूँजी (₹ 2695.12 करोड़) एवं ब्याज मुक्त ऋण (₹ 1541.61 करोड़) के रूप में आगे और भी धनराशि निवेश की थी। राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई निधियों का वर्तमान मूल्य 31 मार्च 2019 को ₹ 12548.63 करोड़ आता है। 2000-01 से 2018-19 के दौरान, उपक्रमों की वर्ष के लिए कुल आय 2000-01 से 2004-05, 2009-10 एवं 2013-14 से 2018-19 के दौरान इन उपक्रमों में निवेश की गई निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से कम रही क्योंकि इन उपक्रमों में से चार[15] उपक्रमों ने भारी हानि वहन की थी। साथ ही, समस्त अवधि (2000-19) के दौरान तीन अन्य उपक्रमों[16] द्वारा अर्जित लाभों को इन चार उपक्रमों के हानियों ने विलोपित कर दिया था, जिसके कारण कुल लाभ इन सभी उपक्रमों से अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल से कम रहा।

तीन लाभ अर्जन करने वाले उपक्रमों यथा रीको, आरएसएमएम एवं आरएसडब्ल्यूसी, जिन्होनें 2000 से 2019 की अवधि के दौरान लाभ अर्जित किया था, के सघन विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि ये उपक्रम बाजार में इनके एकाधिकार सुअवसर अथवा व्यवसाय, जो कि इन्हें सरकारी एजेन्सियों से प्राप्त हुआ, के कारण लाभ अर्जित कर सके थे।

राज्य सरकार द्वारा रीको को सरकारी भूमि रियायती दरों पर अधिग्रहण किये जाने की अनुमति (2017 तक) थी। राज्य में यह मुख्य एजेन्सी है जिसके पास भूमि को औद्योगिक/संस्थानिक उद्देश्यों के लिये विकसित करने एवं लागत पर अधिभारों को जोड़कर आवंटन करने का अधिकार प्राप्त है। रीको के संचित लाभों में 2000-01 में ₹ 282.64 करोड़ के समक्ष 2017-18 में ₹ 1516.60 करोड़ तक की वृद्धि मुख्यतः ढांचागत गतिविधि से लाभ के पेटे हुयी थी। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान ढांचागत गतिविधि से लाभ की प्रतिशतता कुल लाभों के क्रमशः 85 प्रतिशत एवं 93 प्रतिशत थी। इसी प्रकार, आरएसएमएमएल ने रॉक फॉस्फेट, खनिज जिसके लिये कम्पनी का देश में लगभग एकाधिकार है एवं यह देश के कुल उत्पादन का 98 प्रतिशत योगदान करती है, के विक्रय से महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित किया। 2009-10 से 2018-19 (वर्ष 2017-18 में 16 प्रतिशत को छोड़कर) के दौरान रॉक-फॉस्फेट खनन से लाभ का अंश, कम्पनी के कुल लाभ के 41 प्रतिशत व 63 प्रतिशत के मध्य रहा। साथ ही,

14 ₹ 4685.97 करोड़ = ₹ 3107.56 करोड़ + ₹ 1578.41 करोड़

15 आरएसआरटीसी (2000-19), राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आरटीडीसीएल) (2009-19),जेएमसीआरएल (2011-19) एवं आरएफसी (2009-10)

16 रीको, आरएसएमएमएल एवं आरएसडबल्यूसी।

आरएसडब्ल्यूसी राज्य सरकार से कमीशन (भण्डारण शुल्क) भी प्राप्त करती है एवं भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) एवं अन्य राजकीय एजेन्सियों द्वारा फसलों के भण्डारण हेतु भण्डारण शुल्क भी अर्जित करती है। 2018-19 के दौरान, भण्डारण शुल्क निगम के कुल राजस्व का 89 प्रतिशत था जिसमें एफसीआई (24 प्रतिशत), नाफेड (72 प्रतिशत) एवं अन्य राजकीय/निजी एजेन्सियों (चार प्रतिशत) का योगदान है। इस प्रकार, निगम की लाभप्रदता बड़े स्तर पर राज्य सरकार/उपक्रमों द्वारा प्रदान किये गये व्यवसायिक अवसरों पर निर्भर है।

3.16 चूंकि वर्ष 2014-15, 2016-17 एवं 2018-19 के दौरान सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर प्रतिफल धनात्मक था, इन वर्षों के लिये राज्य सरकार की निधियों पर ऐतिहासिक लागत एवं वर्तमान मूल्य के आधार पर क्षेत्रवार प्रतिफल की तुलना को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 3.11: राज्य सरकार के निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

(₹ करोड़ में)

वर्षवार क्षेत्रवार ब्योरा	वर्ष के लिए कुल लाभ	राजस्थान सरकार द्वारा ऐतिहासिक लागत पर पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में किया गया निवेश	राज्य सरकार के निवेश पर ऐतिहासिक लागत के आधार पर आरओआर (%)	वर्ष के अंत में राज्य सरकार की निधियों का वर्तमान मूल्य	निवेश के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रख कर आरओआरआर (%)
2014-15					
सामाजिक क्षेत्र	29.04	2900.86	1.00	3657.80	0.80
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-4.41	1572.53	0.28	5674.46	-0.08
अन्य	-0.33	4.99	-6.61	6.94	-4.76
कुल	**24.30**	**4478.38**	**0.54**	**9339.20**	**0.26**
2016-17					
सामाजिक क्षेत्र	14.05	2008.15	0.70	3242.76	0.43
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	176.60	1988.50	8.88	6981.62	2.53
अन्य	-0.19	4.99	-3.81	7.97	-2.38
कुल	**190.46**	**4001.64**	**4.76**	**10232.35**	**1.86**
2018-19					
सामाजिक क्षेत्र	-29.54	2555.12	-1.16	4350.85	-0.68
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	286.59	2125.36	13.48	8188.03	2.52
अन्य	2.04	5.49	37.16	9.75	20.92
कुल	**259.09**	**4685.97**	**5.53**	**12548.63**	**1.42**

राज्य सरकार के निवेश पर ऐतिहासिक लागत के आधार पर अर्जित प्रतिफल 2014-15 में 0.54 प्रतिशत से बढकर 2018-19 में 5.53 प्रतिशत हो गया जबकि राज्य सरकार की निधियों के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रख कर समान अवधि के लिए आरओआरआर 0.26 प्रतिशत से बढकर 2.06 प्रतिशत हो गया। साथ ही, प्रतिस्पर्धी क्षेत्र से इसी अवधि के दौरान निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल में (-) 0.28 प्रतिशत से 13.48 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में आरओआरआर में 2014-15 में (-) 0.08 प्रतिशत से 2018-19 में 3.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

निवल मूल्य का क्षरण

3.17 निवल मूल्य से आशय प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों एवं अधिशेष में से संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने पर प्राप्त कुल योग से है। वास्तव में यह एक उपक्रम स्वामियों के लिए उसके मूल्य का मापक है। ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के कारण लुप्त हो गया है। **अनुबंध-11** में दिये गये विवरणानुसार इन 28 राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में अंतिम रूप दिये गये उनके नवीनतम लेखों के अनुसार पूँजीगत निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 3589.87 करोड़ एवं ₹ 1176.75 करोड़ थे जिसमे से ₹ 0.66 करोड़ के आस्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात निवल मूल्य ₹ 2412.46 करोड़ आता है। निवेश एवं संचित हानियों के विश्लेषण से उजागर हुआ कि इन 28 उपक्रमों में से दस में निवल मूल्य का पूर्णतया क्षरण हो गया था क्योंकि इन दस उपक्रमों में पूँजीगत निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 747.91 करोड़ एवं ₹ 5193.52 करोड़ था। इन दस उपक्रमों में से, सबसे अधिक निवल मूल्य का क्षरण आरएसआरटीसी (₹ 4177.02 करोड़), आरटीडीसीएल (₹ 123.10 करोड़), बीएलएमसीएल (₹ 51.87 करोड़), आरएसएआईसीएल (₹ 48.82 करोड़) एवं राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (आरएसआईसीएल) (₹ 18.52 करोड़) में हुआ था। इन दस उपक्रमों जिनके निवल मूल्य का पूर्णतः क्षरण हो गया था, में से तीन[17] उपक्रमों ने वर्ष 2018-19 के दौरान लाभ अर्जित किया है तथापि इनकी संचित हानियां भारी मात्रा में थी।

साथ ही, 25 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनमें राज्य सरकार द्वारा सीधा निवेश किया गया है, की कुल प्रदत्त पूँजी, कुल संचित लाभ/हानि एवं कुल निवल मूल्य को नीचे तालिका में इंगित किया गया है:

तालिका 3.12: वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान 25 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2014-15	2046.90	-166.41	0.00	1880.49
2015-16	2105.77	-81.78	0.00	2023.99
2016-17	3373.23	26.05	6.24	3393.04
2017-18	3372.42	-1075.18	2.22	2295.02
2018-19	3372.92	-1098.95	0.66	2273.31

यह देखा जा सकता है कि इन कम्पनियों का निवल मूल्य अवधि के दौरान अस्थिर रहा है। यह 2014-15 के ₹ 1880.49 करोड़ से बढ़ कर 2018-19 में ₹ 2273.31 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान 25 उपक्रमों में से 16 उपक्रमों[18] ने धनात्मक निवल मूल्य एवं

17 वर्ष 2017-18 के लिये राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (आरएसएचडीसीएल) एवं आरसीएसीएल तथा वर्ष 2018-19 के लिये राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी)।

18 आरयूडीडबल्यूएस एवं आईसीएल, राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड (आरएसबीसीएल), जेएमआरसीएल, राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड (आरईएससीएल), राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (आरएसएफ एवं सीएससीएल), राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (आरएसएससीएल), राजस्थान स्टेट पावर फॉयनेन्स एण्ड फॉयनेन्शियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएसपीएफ एवं एफएससीएल), राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (आरएसजीएसएमएल), रीको, आरएसआरडीसीसीएल, आरएसएमएमएल, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईसीएल), आरपीएचसीसीएल, आरएफसी, आरएसडबल्यूसी एवं राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल)।

नौ[19] उपक्रमों ने ऋणात्मक निवल मूल्य को प्रदर्शित किया। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सात[20] उपक्रमों के निवल मूल्य में कमी आई जबकि इसी अवधि में 18[21] उपक्रमों के संदर्भ में वृद्धि हुई।

लाभांश का भुगतान

3.18 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की थी (सितंबर 2004) जिसके अंतर्गत सभी लाभ अर्जन करने वाले उपक्रमों को प्रदत्त समता पूँजी पर दस प्रतिशत का न्यूनतम प्रतिफल या कर के बाद लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, का भुगतान करना आवश्यक है।

25 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी निवेश किया है, अवधि के दौरान लाभांश का भुगतान निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 3.13: 2014-15 से 2018-19 के दौरान 25 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लाभांश का भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उपक्रमों जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी का निवेश किया गया		वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों		उपक्रमों जिन्होनें वर्ष के दौरान लाभांश घोषित/ भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	उपक्रमों की संख्या	राजस्थान सरकार द्वारा निवेशित पूँजी	उपक्रमों की संख्या	राजस्थान सरकार द्वारा निवेशित पूँजी	उपक्रमों की संख्या	उपक्रमों द्वारा घोषित/ भुगतान किया गया लाभांश	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2014-15	25	3033.42	16	884.23	7[22]	60.19	6.81
2015-16	25	3092.29	17	949.74	7[22]	94.38	9.94
2016-17	25	3107.06	19	970.27	7[22]	62.14	6.40
2017-18	25	3107.56	19	970.27	5[23]	59.25	6.11
2018-19	25	3107.56	18	963.36	6[24]	64.82	6.73

19 आरएसआरटीसी, आरटीडीसीएल, राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड (आरएसएचसीएल), आरजेवीएनएल, आरएसएआईसीएल, आरएसएलडीसीएल, आरएसएचडीसीएल, आरएसआईसीएल, आरसीएससीएल।

20 आरएसआरटीसी, आरटीडीसीएल, आरएसएचसीएल, आरजेवीएनएल, आरएसएआईसीएल, आरसीएससीएल एवं आरएसएलडीसी।

21 आरपीएचसीसीएल, जेएमआरसीएल, आरयूडीडबल्यूएस एवं आईसीएल, आरएसबीसीएल, आरईएससीएल आरएसएफ एवं सीएससीएल, आरएसएससीएल, आरएसपीएफसीएल, आरएसजीएसएमएल, रीको, आरएसआरडीसीसीएल, आरएसएमएमएल, आरआईएसएल, आरएफसी, आरएसडबल्यूसी, आरएसएचडीसीएल, आरएसआईसीएल एवं आरएमएससीएल।

22 आरएसएमएमएल, आरएसआरडीसीसीएल, आरएसडबल्यूसी, आरएसबीसीएल, रीको, आरएसजीएसएमएल एवं आरएसएससीएल।

23 आरएसएमएमएल, आरएसडबल्यूसी, आरएसबीसीएल, रीको एवं आरएसएससीएल।

24 आरएसएमएमएल, आरएसडबल्यूसी, आरएसबीसीएल, रीको, आरएसएससीएल एवं आरएसआरडीसीसीएल।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, लाभ कमाने वाले उपक्रमों की संख्या 16 एवं 19 के मध्य थी। इसी अवधि में राजस्थान सरकार को लाभांश की घोषणा/भुगतान करने वाले उपक्रमों की संख्या पांच एवं सात के मध्य थी।

लाभांश भुगतान अनुपात 2014-15 से 2018-19 के दौरान केवल 6.11 प्रतिशत एवं 9.94 प्रतिशत के मध्य रहा। अग्रिम विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) ने 1962-63 से लाभांश की घोषणा/भुगतान किया है एवं लाभांश भुगतान अनुपात 1962-63 में 2.24 प्रतिशत से बढ कर 2018-19 में 6.73 प्रतिशत हो गया।

2018-19 के दौरान लाभांश की घोषणा करने वाली छः उपक्रमों में से, तीन[25] उपक्रमों ने निर्धारित सीमा से अधिक लाभांश घोषित किया जबकि दो[26] उपक्रमों ने निर्धारित सीमा से कम लाभांश घोषित किया एवं केवल एक[27] उपक्रम ने लाभांश नीति के अनुसार लाभांश घोषित किया।

पूँजी पर प्रतिफल

3.19 पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय निष्पादन का माप है जिससे यह आंकलन किया जाता है कि प्रबंधन द्वारा शेयरधारकों की निधि का उपयोग लाभों के सृजन करने में कितने प्रभावी रूप से किया गया है एवं इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात करों के पश्चात शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसको प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी उस कम्पनी के लिए की जा सकती है जिसकी शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्यायें है।

कम्पनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों के योग में से संचित हानियां एवं आस्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात की जाती है एवं यह दर्शाता है कि यदि समस्त संपत्तियां विक्रय कर दी जाये एवं समस्त ऋणों का भुगतान कर दिया जाये तो कम्पनी के हितधारकों हेतु कितना शेष रहेगा। शेयरधारकों की निधि का धनात्मक होना दर्शाता है कि कम्पनी के पास अपने दायित्वों के भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्तियां है जबकि शेयरधारकों की निधि के ऋणात्मक होने का अर्थ है कि दायित्व संपत्तियों से अधिक हैं।

पूँजी पर प्रतिफल की गणना **25 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)** में की गई है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए 25 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के शेयरधारकों की निधि एवं आरओई का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया हैः

तालिका 3.14: 25 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया है, से संबंधित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	शुद्ध आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	आरओई (%)
2014-15	24.30	1880.49	1.29
2015-16	-158.68	2023.99	-

25 आरएसएससीएल, आरएसएमएमएल एवं आरएसडबल्यूसी।

26 रीको एवं आरएसआरडीसीसीएल।

27 आरएसबीसीएल।

2016-17	190.46	3393.04	5.61
2017-18	-927.88	2295.02	-
2018-19	259.09	2273.31	11.40

मार्च 2019 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान, शुद्ध आय 2014-15, 2016-17 एवं 2018-19 के दौरान धनात्मक थी एवं इन वर्षों के दौरान आरओई 1.29 प्रतिशत एवं 11.40 प्रतिशत की सीमा के मध्य था। चूँकि इन उपक्रमों की 2015-16 एवं 2017-18 में शुद्ध आय ऋणात्मक थी, इन उपक्रमों के संबंध में आरओई की गणना इस अवधि के लिए नहीं की जा सकी।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

3.20 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी में नियोजित पूँजी पर लाभप्रदता एवं दक्षता को मापता है। आरओसीई की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी[28] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान **समस्त 28 राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कुल आरओसीई** का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.15: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (%)
2014-15	326.78	10198.16	3.20
2015-16	255.15	9462.39	2.70
2016-17	669.34	10331.41	6.48
2017-18	-1198.35	9173.50	-13.06
2018-19	1002.72	9822.33	10.21

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान इन राज्य उपक्रमों का आरओसीई -13.06 प्रतिशत एवं 10.21 प्रतिशत की सीमा के मध्य रहा। आरएसआरटीसी एवं जेएमआरसीएल की हानियों में महत्वपूर्ण कमी होने के कारण, आरओसीई में वर्ष 2018-19 के दौरान वर्ष 2017-18 की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

3.21 उपक्रमों जिनमें 2014-15 से 2018-19 के दौरान ऋण थे, में कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों का दायित्व निर्वहन करने की कम्पनियों की क्षमता के आंकलन हेतु दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण किया गया था। इसका आंकलन ब्याज व्याप्ति अनुपात एवं ऋण आवर्त अनुपात के माध्यम से किया गया है।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

3.22 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी उपक्रम के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना किसी उपक्रम के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है। यह अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की

---

28 नियोजित पूँजी = प्रदत्त समता पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घावधि ऋण - संचित हानियां- आस्थगित राजस्व व्यय। आंकडे उपक्रमों के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, के अनुसार है।

क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात दर्शाता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व का अर्जन नहीं कर रही थी। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान उन उपक्रमों, जिनमें ब्याज का भार था, के संबंध में धनात्मक एवं ऋणात्मक ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.16: राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	उपक्रमों की संख्या जिन पर सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण का भार था	उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था	उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था
2014-15	334.09	89.31	14	09	5[29]
2015-16	428.86	210.80	19	15	4[30]
2016-17	472.62	577.56	19	14	5[31]
2017-18	475.35	-1233.10	20	15	5[31]
2018-19	530.58	953.15	20	13	7[32]

वर्ष 2018-19 के दौरान जिन 20 राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में सरकार के साथ-साथ बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता है, 13 उपक्रमों में ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है जबकि शेष सात उपक्रमों में ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है जो की यह दर्शाता है कि यह सात उपक्रमों इस अवधि के दौरान ब्याज के व्ययों की पूर्ति हेतु पर्याप्त राजस्व का अर्जन नहीं कर पा रहे थे।

ऋण टर्नओवर अनुपात

3.23 गत पांच वर्षों के दौरान, इन 28 उपक्रमों के टर्नओवर में 9.84 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि एवं ऋणों में 12.16 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, थी जिसके परिणामस्वरूप ऋण टर्नओवर अनुपात 2014-15 में 0.64 से थोड़ा सुधरकर 2018-19 में 0.60 हो गया जैसा की निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 3.17: राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित ऋण टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार एवं अन्य (बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं) से ऋण	7235.85	7281.07	6829.12	6926.72	8898.53
टर्नओवर	11390.91	12171.63	13417.48	13911.21	14823.86
ऋण आवर्त अनुपात	0.64:1	0.60:1	0.51:1	0.50:1	0.60:1

स्रोतः उपक्रम से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

इस अवधि के दौरान ऋण टर्नओवर अनुपात 0.50 एवं 0.64 की सीमा के मध्य रहा। ऋण टर्नओवर अनुपात में, मुख्य रूप से आरयूडीडबल्यूएस एवं आईसीएल, आरएसआरडीसीसीएल

29 आरएसआईसीएल, आरएसएचसीएल, आरटीडीसीएल, आरएसआरटीसी एवं आरएसएआईसीएल।

30 आरएसएचसीएल, आरटीडीसीएल, आरएसआरटीसी एवं आरएसएआईसीएल।

31 जेएमआरसीएल, आरएसएचसीएल, आरटीडीसीएल, आरएसआरटीसी एवं आरएसएआईसीएल।

32 आरएसआईसीएल, जेएमआरसीएल, आरएसएचसीएल, आरटीडीसीएल, बीएलएमसीएल, आरएसआरटीसी एवं आरएसएआईसीएल।

तथा जेएमआरसीएल के ऋणों वृद्धि हो जाने के कारण, वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान भारी वृद्धि हुई।

अकार्यरत उपक्रमों का समापन

3.24 28 राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में से तीन कम्पनियां अकार्यरत थी जिनमें 31 मार्च 2019 को पूँजी (₹ 11.77 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋणों (₹ 16.27 करोड़) के पेटे कुल निवेश ₹ 28.04 करोड़ (आरएसएआईसीएल में ₹ 22.28 करोड़, आरसीएसीएल में ₹ 4.49 करोड़ एवं आरजेवीएनएल में ₹ 1.27 करोड़) था। 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए गत पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यरत कम्पनियों की संख्या नीचे दी गयी है।

तालिका 3.18: अकार्यरत राज्य उपक्रम

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अकार्यरत कम्पनियों की संख्या	3	3	3	3	3

स्रोत: संबंधित वर्ष के सार्वजनिक उपक्रमों पर प्रतिवेदन, राजस्थान सरकार एवं अनुबंध 11 के आधार पर संकलित।

आरएसएआईसीएल समापन की प्रक्रियाधीन है एवं सरकारी समापक की नियुक्ति की जा चुकी है। शेष दो उपक्रम गत तीन से आठ वर्षों से अकार्यरत है अतः सरकार को इन उपक्रमों के संबंध में शीघ्र ही उचित निर्णय लेना चाहिए।

राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों पर टिप्पणियाँ

3.25 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितम्बर 2019 की अवधि के दौरान पंद्रह कार्यरत कम्पनियों ने अपने 18 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से 13 लेखों को पूरक लेखापरीक्षा के लिये चयनित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इंगित करते हैं कि लेखों के रख-रखाव की गुणवत्ता में सारभूत सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण आगे दिया गया है:

तालिका 3.19: कार्यरत कम्पनियों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	0.06	3	23.91	6	46.38
2.	लाभ में वृद्धि	3	3.91	1	4.43	2	10.20
3.	हानि में वृद्धि	1	0.09	-	-	3	11.17
4.	हानि में कमी	-	-	1	3.43	-	-
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाना	3	6.23	-	-	-	-
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	3	16.66	1	9.74	3	22.77

स्रोत: सरकारी कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के आधार पर संकलित।

वर्ष 2018-19 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने आरएसएफ एवं सीएससीएल के लेखों पर विपरीत प्रमाण-पत्र एवं नौ अन्य लेखों पर प्रमाण-पत्र प्रदान किये। उपक्रमों द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना कमजोर रही क्योंकि छः लेखों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के अठारह प्रकरण इंगित किये गये।

3.26 राज्य में तीन सांविधिक निगम अर्थात (i) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी), (ii) राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) एवं (iii) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (आरएसडब्ल्यूसी) है। सीएजी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के एकमात्र लेखापरीक्षक है।

1 अक्टूबर 2018 से 30 सितम्बर 2019 के दौरान, तीन कार्यरत सांविधिक निगमों में से दो निगमों (आरएफसी एवं आरएसडब्ल्यूसी) ने वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक लेखे प्रेषित किये जबकी आरएसआरटीसी ने वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखे प्रेषित किये। सभी तीनों लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किये गये थे।

सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.20: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	49.81	2	55.46	1	6.01
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	1	1658.39	-	-	-	-
4.	हानि में कमी	-	-	1	464.82	-	-
5.	सारवान तथ्यों का प्रकट नहीं किया जाना	1	7404.63	1	1100.00	-	-
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	2	83.00	1	2.00	1	2.00

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद

3.27 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के भाग II हेतु '*राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बसों का प्रापण एवं उपयोग*' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) एवं राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित छः अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद, दो सप्ताह की अवधि में उत्तर प्रेषित करने के आग्रह के साथ, संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को जारी किये गये थे। निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर राज्य सरकार/ प्रबन्धन के उत्तर प्राप्त हो गये थे तथा प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित कर लिये गये हैं (मई 2020)। निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 197.83 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

बकाया उत्तर

3.28 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया का सार है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाये। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि में, राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किये बिना, निर्धारित प्रारूप में उत्तर/स्पष्टीकरण टिप्पणियां प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये थे (सितम्बर 2019)।

तालिका 3.21: 30 सितम्बर 2019 को राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर बकाया स्पष्टीकरण टिप्पणियों की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (उपक्रमों) का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित गैर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कुल पीए एवं अनुच्छेद		पीए/अनुच्छेदों की संख्या जिन पर स्पष्टीकरण टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई	
		पीए	अनुच्छेद	पीए	अनुच्छेद
2017-18	26.07.2019	-	2	-	2

स्रोतः राजस्थान सरकार के संबंधित विभागों से प्राप्त स्पष्टीकरण टिप्पणियों के आधार पर संकलित।

दो[33] अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर स्पष्टीकरण टिप्पणियां सितम्बर 2019 तक एक विभाग से लंबित थी।

3.29 लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये लेखापरीक्षा आक्षेपों एवं जिनका इकाई पर ही समापन नहीं किया है, को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से संबधित उपक्रमों के प्रमुखों एवं राज्य सरकार के संबधित विभागों को प्रेषित किया जाता है। उपक्रमों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर एक महीने के अंदर प्रेषित करना होता है।

28 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबधित, मार्च 2019 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से यह प्रकट हुआ कि 393 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सबंधित 1832 अनुच्छेद सितम्बर 2019 के अंत में बकाया थे, जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 5375.90 करोड़ था। सात उपक्रमों के 172 अनुच्छेदों के संबंध में प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए थे। 30 सितम्बर 2019 को निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुच्छेदों की विभाग-वार स्थिति **अनुबंध-13** में दर्शाई गयी है। साथ ही, 2018-19 के दौरान उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की 87 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी एवं 437 अनुच्छेदों को सम्मिलित करते हुये 57 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये। बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निपटान के लिए सत्रह उपक्रमों में से ग्यारह उपक्रमों में लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 15 बैठकें हुई थी, जिनमें उत्तरदायित्व एवं जवाबदेयता सुनिश्चित करने के लिए बकाया अनुच्छेदों की स्थिति की चर्चा कार्यकारी/प्रशासनिक विभागों के साथ की गई।

---

33 रीको से संबंधित दो अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद।

लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर वसूली

3.30 2018-19 में अनुपालना लेखापरीक्षा के दौरान, उपक्रमों के प्रबंधन को ₹ 54.79 करोड़ की वसूली इंगित की गई। साथ ही, वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 3.04 करोड़ की वसूली की गई जो की गत वर्षों में इंगित की गई वसूलियों से संबंधित थी।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

3.31 30 सितम्बर 2019 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (उपक्रमों) में सम्मिलित उपक्रमों से संबंधित (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुच्छेदों पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 3.22: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं 30 सितम्बर 2019 तक चर्चा की गई निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा किये गये अनुच्छेद	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2015-16	1	8	-	7
2016-17	-	5	-	-
2017-18	-	2	-	-

स्रोतः लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोपू में की गई चर्चा के आधार पर संकलित।

वर्ष 2014-15 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (उपक्रमों) पर चर्चा पूर्ण की जा चुकी है।